

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/ STA-(सं0भा0पर्य0प0)-08/2020

पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रेषक,

सचिव,  
राज्य परिवहन प्राधिकार,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राजू कुमार,  
पिता-श्री सगुनी सिंह,  
पता-राजीव नगर रोड नं0-14/16, केशरी नगर,  
जिला-पटना, बिहार-800024

विषय :- वाहन संख्या-BR01PK-3474 के पक्ष में निर्गत सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट संख्या-BR2020-AITP-0033A के रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वाहन संख्या-BR01PK-3474 के पक्ष में निर्गत सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट संख्या-BR2020-AITP-0033A के प्रत्यर्पण हेतु दिनांक-18.12.2025 को अनुरोध किया है।

अवगत कराना है कि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-16.11.2025 तक थी एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-86 के उपनियम-5 के अलोक में परमिट की वैधता की समर्पित तिथि से तीन दिनों के अन्दर परमिट को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए था, परन्तु आपके द्वारा दिनांक-18.12.2025 को परमिट के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-86 का अनुपालन नहीं किये जाने के आलोक में परमिट को रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3637

पटना, दिनांक- 13/05/2026

प्रतिलिपि:- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 7.5.26

राज्य परिवहन प्राधिकार,

बिहार, पटना।